(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 3637–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–9–2014 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 96/अपील/2012–13.

.....

कमलाबाई पत्नी श्री रामचन्द्र शर्मा
निवासी शहीद कॉलोनी बर्तन फैक्ट्री के सामने,
व्यावरा जिला राजगढ़ म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
2–ऊकांर वक्ष आत्मज पन्नालाल ब्राहम्ण
निवासी ग्राम परसूलिया तहसील ब्यावरा
जिला राजगढ़
3–रामचरण आ0 सेवाजी (मृत वारिसान :–)
अ–श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व0रामचरण
ब–राधेश्याम आ0 स्व0 श्री रामचरण
स–अमृतलाल आ0स्व0श्री रामचरण
निवासी ग्राम परसूलिया तहसील व्यावरा
जिला राजगढ़ म0प्र0
द–श्रीमती कौशल्या पुत्र स्व0श्री रामचरण पत्नी श्री मुकेश
निवासी ग्राम पाडल्या बन्ना तहसील नरसिंहगढ
जिला राजगढ़

.....प्रत्यर्थीगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक– अपीलार्थी

श्री जी0एस0चौहान, अभिभाषक– प्रत्यर्थी कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 12/10/15 ~~को~~ पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–9–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी कमांक 2 द्वारा अपर कलेक्टर जिला राजगढ के समक्ष संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत ग्राम हाथीपुरा स्थित भूमि कमांक 203/1 के नक्शे में की गई त्रुटि को संशोधित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज दिनांक 31–11–2012 को आदेश पारित कर प्रत्यर्थी कमांक 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को निगरानी मानकर निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–9–2014 को आदेश पारित कर प्रथम अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी कमांक 2 को प्रश्नाधीन भूमि के दिये गये पट्टे में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उसे कब्जा सौंपा गया है, जबकि अपीलार्थी को प्रश्नाधीन भूमि का पटटा दिया जाकर कब्जा सौंप दिया गया है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी को 32 वर्ष पूर्व पटटा दिया गया है तब से निरन्तर प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कब्जा चला आ रहा हे और 32 वर्ष के विलम्ब के पश्चात् नक्शा दुरूस्ती का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी कमांक 2 के पिता के पास 85 बीघा जमीन है ऐसी स्थिति में उसको दिया गया पटटा निरस्त किये जाने योग्य

है । अतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर के समक्ष संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत नक्शे में दुरूस्ती हेतु प्रत्यर्थी कमांक 2 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उनके द्वारा आवेदन पत्र को निगरानी में मानकर आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि प्रत्यर्थी कमांक 2 को पटटे में मिली भूमि के संबंध में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा मिलीभगत करके नक्शे में संशोधन किया गया है, ऐसी स्थिति में नक्शे में दुरूस्ती करना चाहिये थी । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि ग्राम हाथीकुमरा तहसील राजगढ स्थित भूमि सर्वे नम्बर 203/1 में से रकबा 0.660 हेक्टेयर का स्थायी पटटा अनावेदक कमांक 2 को, इसी सर्वे नम्बर में से रकबा 0.370 हेक्टेयर का पटटा अनावेदक कमांक 3 को एवं रकबा 1.00 हेक्टेयर का पटटा आवेदिका को दिया गया था । तदानुसार बटांकन किया जाकर अनावेदक कमांक 2 को सर्वे नम्बर 203/1/1, अनावेदक कमांक 3 को सर्वे नम्बर 203/1/3 एवं आवेदिका को सर्वे नम्बर 203/1/2 दिया गया । बाद में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के नक्शे में सर्वे नम्बर 203/1/1 के स्थान पर सर्वे नम्बर 203/1/3 अंकित कर कूट रचना करते हुये अधिग्रहित भूमि का मुआवजा आवेदिका द्वारा प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि बटांकन में उसे सर्वे नम्बर 203/1/2 प्राप्त हुआ था । आवेदिका के पति राजस्व निरीक्षक थे, इस कारण भी आवेदिका को पटटे की पात्रता रही थी अतः आयुक्त द्वारा

कलेक्टर को प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कार्यवाही करने के निर्देश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । साथ ही दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जॉच कायम करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं प्रश्नाधीन भूमि की पूर्व की स्थिति में लाने के आदेश देने में आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, चूँकि कलेक्टर के समक्ष नक्शा दुरूस्ती हेतु संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत मूल आदेश पारित किया गया है, परन्तु कलेक्टर द्वारा निगरानी मानकर आदेश पारित करने में विधि एवं न्याय की वैधानिक भूल की गई थी इसलिये कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में भी आयुक्त द्वारा उचित कार्यवाही की गई है । अतः आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–9–2014 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर